

## सूचना

राष्ट्रीय आवास बैंक, एक संवैधानिक संस्था है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित की गई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, ग्रेटर नोएडा, तिरुवनंतपुरम और रांची में स्थित हैं। तदनुसार, बैंक दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों के आवास के लिए आवासीय स्थान उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति डीलरों/रियल एस्टेट एजेंटों को सूचीबद्ध करना चाहता है।

दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों के आवास के लिए आवासीय स्थान उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत संपत्ति डीलरों/रियल एस्टेट एजेंटों के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन हेतु शर्तें:

1. व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डीलर्स/रियल एस्टेट एजेंट के लिए आवेदक का स्थायी पता दिल्ली-एनसीआर में होना चाहिए।
2. व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डीलर्स/रियल एस्टेट एजेंट के लिए आवेदक के पास पैन और आधार कार्ड होना चाहिए।
3. व्यक्तिगत संपत्ति डीलरों / रियल एस्टेट एजेंटों के लिए आवेदक को केवाईसी मानदंडों को पूरा करना होगा।
4. रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
5. इस क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।
6. व्यक्तिगत संपत्ति डीलरों / रियल एस्टेट एजेंटों के लिए आवेदक को किसी अन्य आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए जैसे कि दिवालियापन, अल्पसंख्यक और धोखाधड़ी आदि के आपराधिक मामलों में शामिल होना।
7. आवेदन के साथ पिछले पांच (05) वर्षों का आईटीआर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. आवेदन पत्र का पूरा सेट प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक वेबसाइट पर इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए।

उप महाप्रबंधक,  
तीसरी-पांचवीं मंजिल, राष्ट्रीय आवास बैंक,  
कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर,  
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110001  
ईमेल आईडी: [gad@nhb.org.in](mailto:gad@nhb.org.in)

नोट:

- बोलीदाता ध्यान दे कि यदि वह पैनल में शामिल किया जाता है, तो भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक/व्यक्तिगत पट्टे के लिए फ्लैट को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो चालान प्रस्तुतीकरण और लागू टीडीएस के अधीन होगा।
- प्रत्येक चयनित फ्लैट के लिए प्रतिपूर्ति की पात्रता चयनित किराये का 50% होगी।
- उसी फ्लैट के पट्टा नवीनीकरण के मामले में, नवीनीकरण अवधि के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा।

## Notice

National Housing Bank (NHB), a statutory institution, established under National Housing Bank Act, 1987 ("the Act") with its head office located in New Delhi and a regional office located at Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Bhopal, Lucknow, Guwahati, Patna, Chandigarh, Raipur, Jaipur, Bhubaneswar, Greater Noida, Thiruvananthapuram and Ranchi. Accordingly, Bank wishes to empanel Individual Property Dealers/ Real Estate Agents for providing residential spaces for Officers Accommodation in Delhi NCR.

### **Conditions to be read before applying for empanelment as Individual Property Dealers/ Real Estate Agents for providing residential spaces for Officers Accommodation in Delhi NCR**

1. The applicant for Individual Property Dealers / Real Estate Agents must have a permanent address in Delhi-NCR.
2. The Applicant for Individual Property Dealers / Real Estate Agents must have PAN & Aadhar Card.
3. The Applicant for Individual Property Dealers / Real Estate Agents must satisfy KYC norms.
4. Copy of RERA registration certificate.
5. 5yrs experience in this field.
6. The Applicant for Individual Property Dealers / Real Estate Agents should not be otherwise ineligible on any other ground like insolvency; minority and involvement in criminal cases of cheating; fraud etc.
7. ITR of last five (05) years should be submitted along with application.
8. Completed set of Application Form along with relevant documents to be sent to the following address in a sealed envelope within 15 days of publishing of this notice on the NHB website.

**Deputy General Manager,**  
**3<sup>rd</sup> -5<sup>th</sup> Floor, National Housing Bank,**  
**Core 5A, India Habitat Centre,**  
**Lodhi Road, New Delhi - 110001**  
Email ID: [gad@nhb.org.in](mailto:gad@nhb.org.in)

#### **Note:**

- Bidder should note that if empanelled, the payment shall be made only if Bank finalises the flat for Bank/ Personal lease by the officers, subject to the production of invoice(s) and applicable TDS.
- The eligibility of the reimbursement per finalised flat shall be 50% of the finalised rent.
- In case of lease renewal of the same flat, no brokerage shall be period for the renewal period.